राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

आबकारी विविध प्रार्थना पत्र संख्या–13/2013/झालावाड़.

नन्दकिशोर मेहर पुत्र श्री रामनारायण मेहर, जाति मेहर
निवासी 62, जुम्मा मस्जिद के पास, झालावाड़. ......अपीलार्थी.

बनाम

1. श्री दिनेश कुमार, आबकारी आयुक्त, उदयपुर।
2. श्री हनुमान सिंह गुर्जर जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़ । ......प्रत्यर्थीगण.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. गर्ग, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एन.एस.राठौड़,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09.05.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की खण्डपीठ (समन्वय पीठ) के आबकारी अपील संख्या 890/2012/झालावाड़ के निर्णय दिनांक 09.01.20013 के संबंध में प्रस्तुत किया गया है जिसमें समन्वयपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.01.2013 में जारी निर्देशों की प्रार्थीगण द्वारा पालना नहीं करने का कथन करते हुये, पुनः निर्देश दिये जाने की अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रार्थना की गयी है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.8.2011 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका संख्या 54/2012 प्रस्तुत की गयी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 10.4.2012 के उक्त याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की गई कि अपीलार्थी अधिनियम की धारा 9ए(4) के तहत राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील पेश करे एवं राजस्थान कर बोर्ड प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों की पालना में अपीलार्थी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, कर बोर्ड की समन्वय पीठ(खण्डपीठ) द्वारा पारित **निर्णय दिनांक 09.01.2013** से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर, कतिपय निर्देशों के साथ प्रकरण को आबकारी आयुक्त, उदयपुर को प्रतिप्रेषित किया गया । निर्णय दिनांक **09.01.2013** के जरिये कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा जारी निर्देशों की पालना में आदिनांक तक अपीलार्थी व्यवहारी को प्रत्यर्थीगण द्वारा लाभ नहीं प्रदान करने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत उक्त विविध प्रार्थना पत्र के जरिये प्रत्यर्थीगण को निर्णय दिनांक **09.01.2013** में वर्णित निर्देशों की पालना

लगातार...................2

हेतु पुनः निर्देशित करने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक **11.08.2011** के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी । अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील पर कर बोर्ड की समन्वय पीठ(खण्डपीठ) द्वारा जरिये **निर्णय दिनांक 09.01.2013** के अपील स्वीकार कर, कतिपय निर्देशों के साथ प्रकरण आबकारी आयुक्त, उदयपुर को प्रतिप्रेषित किया गया । कथन किया कि निर्णय दिनांक **09.01.2013** के जरिये कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में आदिनांक तक अपीलार्थी व्यवहारी को प्रत्यर्थीगण द्वारा लाभ नहीं प्रदान किया गया है । अतः प्रत्यर्थीगण को निर्णय **दिनांक 09.01.2013** के जरिये दिये गये निर्देशों की पालना करने हेतु पुनः निर्देशित करने की प्रार्थना की गयी है ।

प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्कों पर सहमति प्रकट कर, प्रत्यथीगण को कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 09.01.2013 के दिये गये निर्देशों की पालना में पुनः निर्देशित करने का निवेदन किया गया ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा अपील संख्या 890/2012/झालावाड़ में पारित निर्णय दिनांक **09.01.2013** के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट पिटीशन क्रमांक 3091/2013 मय रोक ओवदन पत्र क्रमांक 2448/2013 दायर की गयी एवम् कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.01.2013 पर रोक लगाने हेतु निवेदन किया गया। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 08.11.2013 के, कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.01.2013 के धरोहर राशि रूपये 6,58,171/–, बेसिक लाईसेंस फीस रूपये 11,28,171/– एवं वेन्ड फीस रूपये 1,66,450/– कुल राशि रूपये 19,52,792/– अपीलार्थी व्यवहारी को लौटाने संबंधी आदेश पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगायी गयी है। अतः अब इस स्तर पर प्रार्थीगण को

लगातार..................3

ऊपर वर्णित राशि लौटाने हेतु निर्देशित करने हेतु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र "सारहीन" है । फलस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है ।

निर्णय सुनाया गया ।

9-5-14
(अमर सिंह)
सदस्य

9.5.2014
(मदन लाल)
सदस्य